

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या : वि.प्रा.०(१)स्था.-०४ / २०१४ /

/पटना, दिनांक :

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा "बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली २०१४" के परिशिष्ट-१ की तालिका- १ एवं २ को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

संशोधन  
परिशिष्ट-१  
तालिका-१

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता।

बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग परिशिष्ट-१ टेबल- १ बिहार इंजीनियरिंग शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ एवं अनुभव।			
क्र० सं०	संवर्ग पद	योग्यता	अनुभव
	सहायक प्राध्यापक		
(a)	अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी	संबंधित शाखा में बी.ई. / बी.टेक और एम.ई. / एम.टेक। बी.ई./बी.टेक अथवा एम.ई. / एम.टेक में प्रथम श्रेणी।	
(b)	मानविकी एवं विज्ञान	१) किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ मानविकी/ विज्ञान के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। २) उपर्युक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार को यूजीसी/ सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा यथा स्लेट/सेट उत्तीर्ण होना चाहिए। ३) उपखंड (१) एवं (२) के बावजूद ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पीएचडी की डिग्री वर्ष २००९ से पहले प्राप्त की है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री के पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, २००९ के अनुसार वर्ष २००९ के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, को तकनीकी संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट /स्लेट/ सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी जा सकेगी।	

परिशिष्ट-1

तालिका-2

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम

परिशिष्ट-1 तालिका-2 बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए वेटेज स्कीम:			
संवर्ग पद	कुल वेटेज -100		
	अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान कार्य वेटेज -50	डोमेन ज्ञान और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज -30)	साक्षात्कार (वेटेज -20)
सहायक प्राध्यपक (मानविकी एवं विज्ञान)	<p>(a) प्रासंगिक विषय में एमएससी / एमए में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 25% (अधिकतम- 25 अंक)</p> <p>(b) प्रासंगिक विषय में बीएससी (ऑनर्स)/ बी0ए0 (ऑनर्स) में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 15% (अधिकतम -15 अंक)</p> <p>(c) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यपक जो न्युनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को 2 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम- 10 अंक)</p>	<p>(I) यूजीसी / सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा जो यूजीसी / सीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंक घोषित किया गया हो :- ऐसे परीक्षा में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत। (अधिकतम- 30 अंक)</p> <p>(II) यूजीसी / सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा जो यूजीसी / सीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंकों का खुलासा नहीं किया गया हो :- कंडिका-1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंको का औसत। (अधिकतम- 30 अंक)</p> <p>(III) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएचडी उम्मीदवार जिन्हें अभातशिप द्वारा नेट उत्तीर्णता से छूट दी गई है :- उपर्युक्त कंडिका- 1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। (अधिकतम- 30 अंक)</p>	20 अंक
सहायक प्राध्यापक (अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी )	<p>(ए) प्रासंगिक विषय में बी.ई./ बी.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 15% (अधिकतम- 15 अंक)</p> <p>(बी) प्रासंगिक विषय में एम.ई. / एम.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 15% (अधिकतम -15 अंक)</p> <p>(सी) पीएचडी -10 अंक</p> <p>(डी) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापकों के अभ्यर्थी जो न्युनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को प्रतिवर्ष 2 अंक। (अधिकतम- 10 अंक)</p>	(ए) ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट), स्कोर में प्राप्त प्रतिशत का 30% (अधिकतम- 30 अंक)	20 अंक

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना।


कृ०पू०

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)स्था.-04/2014/

890

/पटना, दिनांक : 10-4-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/ सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना/ माननीय विभागीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई.टी. मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना।



**Govt. of Bihar**  
**Deptt. of Science & Technology**  
**Notification**

No.Vi.Pra(i)Asth-04/2014/

/Patna,dated...../

In exercise of the powers conferred by proviso to Article - 309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to substitute the table-1 & 2 of Appendix -1 of the Bihar Engineering Education Service Rule, 2014 with immediate effect:-

**Amendment**

**" Appendix-1"**

Table-1

Educational qualification for direct appointment to the Assistant Professor of The Bihar Engineering Education Service:-

Qualification (Revised) GOVERNMENT OF BIHAR <u>DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</u> <u>Appendix-I</u> <u>TABLE-I</u> Prescribed qualifications and Experiences for direct Appointment in Bihar Engineering Education Service:			
Sl. No.	Cadre Post	Qualifications	Experience
	Assistant Professor		
(a)	Engineering & Technology	B.E/B.Tech. and M.E./M.Tech. in relevant branch with First Class or Equivalent either in B.E./B.Tech. or M.E./M.Tech.	
(b)	Humanities and Sciences	<p>1) Master's Degree in relevant subject of Humanities &amp; Sciences with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's Level from any recognized Indian University.</p> <p>2) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>3) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (1) and (2) to this clause; a candidate, who has a Ph.D. degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph.D. Degree after 2009 in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, Shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/ SLET/ SET for recruitment and appointment as Assistant Professor in Technical Institutions.</p>	

Appendix-I

TABLE-II

Weightage Scheme for direct appointment to the post of Assistant Professor

"Appendix-I" TABLE-2 Weightage Scheme for Post of Assistant Professor in Bihar Engineering Education Service:			
Cadre Post	Total Weightage-100		
	Academic Record And Research Work (Weightage-50)	Evaluation of Domain-Knowledge and Teaching Skill (Weightage-30)	Interview (Weightage-20)
Assistant Professor (Humanities & Science)	<p>(a) 25% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject- <b>(Max.-25 marks)</b></p> <p>(b) 15% of Percentage Marks obtained in B.Sc. (Hons)/BA (Hons) in relevant subject- <b>(Max.-15 marks)</b></p> <p>(c) Weightage to candidates working on contract the post of Assistant Professor under Department of Science &amp; Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 2 marks per year <b>(Max.- 10 marks)</b></p>	<p>(i) National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/ CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET in the concerned subject where % marks obtained is disclosed by UGC/ CSIR to the successful candidate <b>(Max.-30 marks)</b> :- 30% of the percentage marks obtained in such test.</p> <p>(ii) National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/ CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET in the concerned subject in cases where % marks obtained has not been disclosed to the successful candidate <b>(Max.-30 marks)</b>:- Average of the scores obtained by the applicants as in (i) above.</p> <p>(iii) Candidates with Ph.D. in relevant field who are exempted from NET qualification by AICTE <b>(Max.-30 marks)</b>:- Average of the scores obtained by the applicants as in (i) above.</p>	20 Marks
Assistant Professor (Engineering/ Technology)	<p>(a) 15% of Percentage Marks obtained in B.E./B.Tech. in relevant subject- <b>(Max.-15 marks)</b></p> <p>(b) 15% of Percentage Marks obtained in M.E./M.Tech. in relevant subject -<b>(Max.-15 marks)</b></p> <p>(c) Ph.D.- <b>(10 marks)</b></p> <p>(d) Weightage to candidates working on contract the post of Assistant Professor under Department of Science &amp; Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 2 marks per year <b>(Max. - 10 marks)</b></p>	(a) 30% of Percentile obtained in Graduate Aptitude Test (GATE) Score (Max- 30 Marks)	20 Marks

by Order of the Governor of Bihar,



sd/-  
Deputy Secretary,  
Deptt. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.

Memo No. vi pra (i) Astha-04/2014- 890 Patna, Dated :- 10-4-017

**Copy to :** Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent. Govt. Press. Gulzarbagh, Bihar, Patna-7/Officer in charge, E-Gazette, Finance Department for information and publish in the forthcoming issue of the Gazette/Principal Secretary, Hon'ble Governor, Bihar/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Bihar/O.S.D, Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary/Secretary, General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secretary/Secretary, Bihar Publish Service commission/All Principal, Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic Institutions/Govt Women's Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/ Private Secretary of Hon'ble Departmental Minister/All Officer, Science & Technology Department/Principal Private Secretary of Principal Secretary/I.T manager (for upload), Science & Technology Department for information and necessary action.

(Deputy Secretary)

Department of Science & Technology  
Govt. Bihar, Patna